

### द्राम्बे उर्वरक जांच आयोग

633. श्री राम नरेश कुसवाहा :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्राम्बे उर्वरक जांच आयोग की शर्तों का अन्तिम रूप देते समय सरकार ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि क्या मध्यस्थ प्राधिकरण के समक्ष लम्बित मध्यस्थता कार्यवाही से आयोग की शर्तों की मद संख्या-2 पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इस सम्बन्ध में भूतपूर्व भारतीय उर्वरक नियम से परामर्श नहीं किया; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और

(ख) का उत्तर हां हो तो, इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) :

(क) गसे (ग) द्राम्बे उर्वरक जांच आयोग के विचारार्थ विषयों की अन्तिम रूप देते समय सरकार ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि मध्यस्थता प्राधिकरण के समक्ष लम्बित कार्यवाही से आयोग के विचारार्थ विषयों की मद संख्या 2 पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने इस सम्बन्ध में भूतपूर्व भारतीय उर्वरक नियम से भी परामर्श नहीं किया। तथापि, अब से अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि भविष्य में इस प्रकार के आयोग के विचारार्थ विषयों का अन्तिम रूप देते समय यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि सम्बन्धित उपक्रम/विभाग से परामर्श किया जाये बशर्ते कि ऐसी कार्यवाही को विशेषरूप से अनुपयुक्त या अनावश्यक न समझा जाये।

### Refusal to dilute equity capital by multi-national drug Companies

634. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the latest position regarding the multinational drug companies operating in India which have refused to dilute their equity capital as per requirements of the FERA and which of them have been exempted and the action Government propose to take against those refusing to abide by the provisions of FERA; and

(b) what is the paid up capital of all these multinational companies and the money which they have taken out of India by way of royalty, profits Head-Office expenditure and in other forms during their operations in the last three years?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI P. C. SETHI): (a) The latest position regarding the disposal of FERA applications of foreign drug companies has been indicated in reply to Rajya Sabha Unstarred Question No. 63 answered on 26-4-82. Some of these companies have submitted representations against Reserve Bank of India's directives. Only M/s. Smith Kline & French, whose representations against the directive to bring down foreign equity to 40 per cent have been finally rejected by Government have failed to comply with the said directive. Reserve Bank of India, Bombay have referred their case to the Enforcement Directorate for initiating necessary action against the company for non-compliance of the directive mentioned above.

(b) M/s. Smith Kline & French is a branch of a company incorporated in England. The total remittances on account of profits, head-office expenditure etc. made by this company during